न्यायालय सिविल जज (जू० डि०)/ जे० एम०, हसनपुर, अमरोहा।

परिवाद संख्याः- 1046/2022

राजवीर **बनाम** **कल्लू आदि**

धारा- 323
आई०पी०सी०
थाना- हसनपुर
जनपद- अमरोहा।

दिनाँकः-14.10.2022

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र-

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण कल्लू, ओमकार, करन सिंह, किरन, धर्मवीर एवं ऋषिया की ओर से इस न्यायालय के समक्षः उपरोक्त जमानत प्रा० पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि उक्त परिवाद में दर्शायी गयी घटना झूठी एवं मनगणत तथ्यों पर आधारित है। उक्त परिवाद में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को झूठा रंजिशन फंसाया गया है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की उपरोक्त मुकदमा में जमानत स्वीकार की जाने की याचना की गयी है।

सुना व पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने स्वेच्छा से इस मुकदमें में न्यायालय के समक्ष समर्पण किया तथा भविष्य में हर नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने के कथन के साथ जमानत हेतु याचना की गयी। इस उपरोक्त मामले के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र न्यायाहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त परिवाद संख्या- 1046/2022 अंतर्गत 323 में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण कल्लू, ओमकार, करन सिंह, किरन, धर्मवीर एवं ऋषिया की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण यदि किसी अन्य मुकदमा के अन्तर्गत निरूद्ध न हो तो प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा मुव० 20,000/ रू० का एक-एक व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि को दो-दो प्रतिभू दाखिल करने पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर अविलम्ब रिहा किया जाए।

दिनाँकः-14.10.2022 **सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०**
हसनपुर, अमरोहा।

SHUBHAM
STENOGRAPHER